भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2934
दिनांक 17 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण

2934. श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' :
श्री निहाल चन्द चौहान :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और अधिक आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) आज की तिथि के अनुसार देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने आंगनवाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है;
(ग) केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र को अपना भवन उपलबध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या केंद्र सरकार देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर शहरों में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण पर विचार कर रही है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने के लिए कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में, कुल 7074 परियोजनाएं और 14 लाख अनुमोदित आंगनवाड़ी केंद्र हैं।

(ख) : सरकार के स्वामित्व वाले भवनों, सामुदायिक भवनों और किराए के भवनों में कार्य कर रहे क्रियाशील आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या वाला विवरण अनुलग्नक में उपलब्ध है।
(ग) से (ड.) : वित्त वर्ष 2025-26 को समाप्त 5 वर्ष की अवधि के लिए मनरेगा के साथ अभिसरण के तहत कुल 50,000 आंगनवाड़ी केंद्र(प्रति वर्ष 10 हजार आंगनवाड़ी केंद्र की दर से) निर्माण किया जाना है। जमीनी स्तर पर आंगनवाड़ी सेवा के प्रभावशाली कार्यान्वियन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर जुड़ाव के भाग के तौर पर कमियों को दूर करने और अवसंरचना में सुधार के लिए नियमित समीक्षा बैठकें की जानी हैं। निर्माण सामग्री और मजदूरी (कुशल/अर्द्धकुशल, अकुशल) की दरों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के साथ अभिसरण के तहत आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण की लागत को प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 12 लाख रुपये संशोधित कर दिया गया है जिसमें से 8 लाख रुपये मनरेगा के तहत प्रदान किए जाएंगे, 2 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग कोष(कोई अन्य संयुक्त कोष) के तहत प्रदान किए जाएंगे और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 2 लाख रुपये निर्धारित लागत साझेदारी अनुपात में केंद्रों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य साझा किया जाएगा।

*****

17.03.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2934 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या जिनके लिए डेटा उपलब्ध है	सरकारी भवनों में	सामुदायिक भवनों में	किराए के भवनों में
1	आंध्र प्रदेश	55607	55607	21218	10429	23960
2	अरुणाचल प्रदेश*	6225	6225	5801	0	424
3	असम	61715	61715	41763	9648	10304
4	बिहार	112094	111468	26097	11672	73699
5	छत्तीसगढ़	51586	51586	39182	3677	8727
6	गोवा	1262	1262	129	388	745
7	गुजरात	53029	53027	43161	2943	6923
8	हरियाणा	25962	25962	9776	10287	5899
9	हिमाचल प्रदेश	18925	18925	2125	7211	9589
10	झारखंड	38432	38430	22850	3355	12225
11	कर्नाटक	65911	65911	45258	8721	11932
12	केरल	33115	33115	23991	1741	7383
13	मध्य प्रदेश	97135	97135	43842	27722	25571
14	महाराष्ट्र*	109832	109832	57760	21274	30798
15	मणिपुर	11510	11510	4464	961	6085
16	मेघालय	5896	5896	3425	1990	481
17	मिजोरम	2244	2244	2244	0	0
18	नागालैंड*	3980	3980	3085	125	770
19	ओडिशा	73172	73172	47985	20330	4857
20	पंजाब	27304	27304	2098	22280	2926
21	राजस्थान*	61625	61625	25810	25262	10553
22	सिक्किम	1308	1308	982	50	276
23	तमिलनाडु	54439	54439	33453	13758	7228
24	तेलंगाना	35580	35580	11181	11973	12426
25	त्रिपुरा	9911	9911	9273	348	290
26	उत्तर प्रदेश*	189309	188982	41247	132805	14930
27	उत्तराखंड*	20048	20048	3784	8776	7488
28	पश्चिम बंगाल	119481	119481	59684	39046	20751
29	अंडमान व निकोबार द्वीप	719	719	128	398	193
30	चंडीगढ़	450	450	157	57	236
31	दादरा और एन हवेली और दमन और दीव	405	405	275	6	124
32	दिल्ली	10755	10755	38	20	10697
33	जम्मू और कश्मीर	28078	28078	830	0	27248
34	लद्दाख*	1140	1140	162	201	777
35	लक्षद्वीप*	71	71	71	0	0
36	पुद्दुचेरी	855	855	328	86	441
	कुल ==>>	**1389110**	**1388153**	**633657**	**397540**	**356956**

** जून 2021 तक के आंकड़े लिए गए हैं क्योंकि एपीआईपी आंकड़े उपलब्ध नहीं है।*